

12-6-18

पंजावली डाक कक्ष कोर्ट जोधपुरा में पेश हुई।
पंजावली का दशागपूर्वक आवेदन किया गया तथा
कोर्ट के हिरान वर्तमान राकव रिपोर्ट पेश
की गई। दशागवन्दी सं. 2071-2074 एम जोधपुरा
के अर्थ सं. 717 रकबा 5.72 है. एवं सं. 147.
218, 353 किला-3 कुल रकबा 0.63 है. की स्वतंत्र
सिवाय-चक (राकवी) दर्ज रिपोर्ट है। राकव रिपोर्ट
के आवेदन के अर्थ राकवी सिवाय-चक होने के
कारण विवाह योग्य नहीं है तथा धारा 53 के प्राधान्य
कायम नहीं आती है। उक्त विवेचन के वादपत्र
आधारहीन होने के कारण किया जाना उचित
व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादपत्र आधारहीन होने के कारण किया जाना है।
पंजावली कक्षल अर्थ होने पर कक्ष में काम होना
कारिबल प्रतीत है।

निर्णय का प्रमाण 12-6-18 को कोर्ट
जोधपुरा में सुनाया गया।

19
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुरा (सुनार)